अक्षित प्रताप सिंह **बनाम** ग्राम पंचायत फुसेवाला आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 05 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/222

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 27.06.2024 को घर में रखे हुए कागजात देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट के दादा मोहनलाल पुत्र जसराम ने एक वसीयत दिनांक 15.04.2022 अपीलांट तथा नरेन्द्र कुमार के हक में बहिस्सा बराबर रूबरू गवाहान के समक्ष निष्पादित करवाई हुई है। उक्त वसीयत की जानकारी होते ही अपीलाट द्वारा प्रत्यर्थीगण को मोहनलाल के नाम की भूमि का वसीयत नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वसीयत को छूपा कर भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवा लिया है। न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद दिनांक 06.06.2024 को इसे स्वीकृत भी करवा लिया। जो खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा एतराज पेश कर निवेदन किया कि यदि मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित की होती तो अपीलांट पटवारी व सरपंच के समक्ष तथाकथित वसीयत की प्रति पेश कर विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने से रोकने बाबत् आपति पेश करता। लेकिन अपीलाट ने ऐसा नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 15.04.2022 फर्जी एंव कूटरचित तैयार की गई है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा मोहनलाल पुत्र जसराम की मृत्यू होने पर चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 133/115 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 1.430 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन नामान्तरण 774 दिनांक 06.06.2024 को स्वीकृत हुआ है। परन्तु अपीलांट को तथाकथित वसीयत घर के कागजात में दिनांक 27.06.2024 को प्राप्त हुई तथा अपीलांट को वसीयत का ज्ञान दिनांक 27.06.2024 को हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट के द्वारा विरास्तन नामान्तरण की कार्यवाही में तथाकथित वसीयत प्रस्तुत ही नहीं की गई है और उस समय विरास्तन नामान्तरण ही दर्ज किया जाना उचित था। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज की जाती हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)